रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01062021-227318 CG-DL-E-01062021-227318

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 295] No. 295] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 1, 2021/ज्येष्ठ 11, 1943 NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 1, 2021/JYAISTHA 11, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2021

सं. 17 /2021 - केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 361 (अ).—आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 83/2020-केंद्रीय कर, दिनांक 10 नवंबर 2020, जिसे सा.का.नि. 699 (अ), दिनांक 10 नवम्बर, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:- उक्त अधिसूचना के दूसरे परंतुक में "अप्रैल 2021" शब्दों और अंकों के बाद "और मई 2021" शब्दों और अंकों को अंत:स्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. सीबीआइसी-20001/5/2021]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना सं. 83/2020- केन्द्रीय कर, दिनांक 10 नवम्बर 2020, को सा.का.िन. 699 (अ), दिनांक 10 नवम्बर 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसका आखिरी बार संशोधन अधिसूचना सं॰ 12/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 1 मई 2021, जिसे सा.का.िन. 308 (अ), दिनांक 1 मई 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया था।

2949 GI/2021 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2021

No. 17/2021 - Central Tax

G.S.R. 361(E).—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 83/2020 – Central Tax, dated the 10th November, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 699(E), dated the 10th November, 2020, namely: —

In the said notification, in the second proviso, after the word and figure "April, 2021", the words and figure "and May, 2021" shall be inserted.

[F. No. CBIC-20001/5/2021]

RAJEEV RANJAN, Under Secv.

Note: The principal notification number 83/2020 – Central Tax, dated the 10th November, 2020, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 699(E), dated the 10th November, 2020 and was last amended by notification No. 12/2021-Central Tax, dated the 1st May, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 308(E), dated the 1st May, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2021

सं. 18/2021-केन्द्रीय कर

सा. का. नि. 362 (अ).—सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 50 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 13/2017- केन्द्रीय कर, दिनांक 28 जून 2017, जिसे सा.का.नि. 661(अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ॥, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात –

उक्त अधिसूचना के प्रथम अनुच्छेद में प्रथम परंतुक में, -

- (i) शब्दों, अक्षरों और अंकों "जिनको प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है, लेकिन जो स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविवष्ट में निर्दिष्ट कर अविध की उक्त विवरणी को नियत तारीख तक, देय कर के भुगतान के साथ, प्रस्तुत नहीं करते हैं", के स्थान पर, शब्दों "जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविवष्ट में निर्दिष्ट कर अविध के लिए नियत तारीख तक, कर का भुगतान करने में विफल रहते हैं" को प्रतिस्थापित किया जायेगा;
 - (ii) तालिका में स्तंभ (4) के शीर्षक में, "कर अवधि" शब्दों, के स्थान पर, "माह/ तिमाही" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा;
 - (iii) निम्नलिखित को तालिका में क्र.सं. 4,5,6 और 7 में प्रतिस्थापित किया जायेगा,

1	2	3	4
"4	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत, उसके बाद 18 प्रतिशत	*

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3

5	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पैंतालीस दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले तीस दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके	मार्च 2021 अप्रैल 2021
		बाद 18 प्रतिशत नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	मई 2021
6	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पैंतालीस दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	मार्च 2021
	उत्तरदायी हैं	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले तीस दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	अप्रैल 2021
		नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	मई 2021
7	करदाता जो धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पैंतालीस दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	तिमाही जो मार्च 2021 को समाप्त हो रही है "।

2. इस अधिसूचना को मई, 2021 के 18वें दिन से लागू माना जाएगा।

[फा. सं. सीबीआईसी -20001/5/2021] राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना सं. 13/2017, दिनांक 28 जून 2017 को सा.का.नि. 661(अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसका आखिरी बार संशोधन अधिसूचना सं. 08/2021- केन्द्रीय कर, दिनांक 01 मई 2021, जिसे सा.का.नि. 304(अ), दिनांक 01 मई 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2021

No. 18/2021 - Central Tax

G.S.R. 362(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 50 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with section 148 of the said Act, the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 13/2017 – Central Tax, dated the 28th June, 2017,

published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 661(E), dated the 28th June, 2017, namely: —

In the said notification, in the first paragraph, in the first proviso,-

- (i) for the words, letters and figure "required to furnish the returns in **FORM GSTR-3B**, but fail to furnish the said return along with payment of tax", the words "liable to pay tax but fail to do so" shall be substituted;
- (ii) in the Table, in column 4, in the heading, for the words "Tax period", the words "Month/Quarter" shall be substituted;
- (iii) in the Table, for serial number 4, 5, 6 and 7, the following shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
"4.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year	9 per cent for the first 15 days from the due date and 18 per cent thereafter	March, 2021, April, 2021 and May, 2021
5.	5. Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under sub-section (1) of section 39 Nil for the first 15 days from the date, 9 per cent for the next 45 and 18 per cent thereafter		March, 2021
	specified under sub-section (1) of section 35	Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 30 days, and 18 per cent thereafter	April, 2021
		Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 15 days, and 18 per cent thereafter	May, 2021
6.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under proviso to sub-section (1) of	Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 45 days, and 18 per cent thereafter	March, 2021
	section 39	Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 30 days, and 18 per cent thereafter	April, 2021
		Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 15 days, and 18 per cent thereafter	May, 2021
7.	Taxpayers who are liable to furnish the return as specified under sub-section (2) of section 39	Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 45 days, and 18 per cent thereafter	Quarter ending March, 2021".

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 18th day of May, 2021.

[F. No. CBIC-20001/5/2021]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification number 13/2017 – Central Tax, dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 661(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended *vide* notification number 08/2021 – Central Tax, dated the 1st May, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 304(E), dated the 1st May, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2021

सं. 19/2021-केन्द्रीय कर

सा. का.नि. 363 (अ).—सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 76/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 31 दिसंबर 2018, जिसे सा.का.नि. 1253(अ), दिनांक 31 दिसंबर 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ॥, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात –

उक्त अधिसूचना के

(i) आंठवे परंतुक में, तालिका के स्थान पर, मई 2021 के 20वें दिन से प्रभावी निम्नलिखित तालिका को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"तालिका

क्र.सं.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग	कर अवधि	सीमा जिसके लिये विलंब फीस
(1)	(2)	(3)	अधित्यक्त किया गया
			(4)
1	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	मार्च 2021, अप्रैल 2021 और मई 2021	विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से पहले पंद्रह दिन तक
2	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की	मार्च 2021	विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से पहले साठ दिन तक
	उपधारा-धारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	अप्रैल 2021	विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से पहले पैंतालीस दिन तक
		मई 2021	विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से पहले तीस दिन तक
3	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा-धारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	जनवरी - मार्च 2021	विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से पहले साठ दिन तक"।

(ii) आंठवे परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक को अंतः स्थापित किया जायेगा, अर्थात्: -

"परंतु यह भी की उन रेजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जिन्होंने नियत तारीख तक माह/ तिमाही जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक के लिए प्ररूप **जीएसटीआर-3ख** में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है लेकिन वह उक्त विवरणी को 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 की अवधि के दौरान प्रस्तुत करते है, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के तहत देय विलंब फीस रुपये पांच सौ से अधिक अधित्यजन किया जाता है:

परंतु यह भी की यदि उक्त विवरणी में संदेय केंद्रीय कर की राशि शुन्य है तो उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के तहत देह विलंब फीस रुपये दो सौ पचास से अधिक को उन रेजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए अधित्यजन किया जाता है जिन्हीने नियत तारीख तक माह/ त्रिमास जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक के लिए प्ररूप **जीएसटीआर-3ख** में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है लेकिन वह उक्त विवरणी को 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 की अवधि के दौरान प्रस्तुत करते है:

परंतु यह भी की उन रेजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए जो की निम्न तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट किये गए है, और जो नियत तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं करते है, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के तहत जून 2021 की कर अविध से या जून 2021 को ख़तम तिमाही की कर अविध से, जैसा भी मामला हो, देय विलंब फीस, जो की निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट किये गए रकम से अधिक है, अधित्यजन किया जाता है, अर्थात्: -

तालिका

क्र॰सं॰	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग	रकम
(1)	(2)	(3)
1.	रेजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनकी उक्त विवरणी में संदेय केंद्रीय कर की राशि शुन्य है	रुपये दो सौ पचास
2.	रेजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये तक हो, क्र.सं. (1) के अंतर्गत आने वालो के आलावा	रुपये एक हज़ार
3.	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ से अधिक हो और 5 करोड़ से कम हो, क्र.सं. (1) के अंतर्गत आने वालो के आलावा	रुपये दो हज़ार पांच सौ" l

[फा. सं. सीबीआईसी- 20001/5/2021]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना सं. 76/2018, दिनांक 31 दिसंबर 2018 को सा.का.िन. 1253(अ), दिनांक 31 दिसंबर 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसका आखिरी बार संशोधित अधिसूचना सं. 09/2021- केन्द्रीय कर, दिनांक 01 मई 2021, जिसे सा.का.िन. 305 (अ), दिनांक 01 मई 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2021

No. 19/2021 - Central Tax

G.S.R. 363(E).— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 76/2018– Central Tax, dated the 31st December, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1253(E), dated the 31st December, 2018, namely: —

In the said notification,-

(i) in the eighth proviso, with effect from the 20th day of May, 2021, for the Table, the following Table shall be substituted, namely: —

"Table

S. No. (1)	Class of registered persons (2)	Tax period (3)	Period for which late fee waived
			(4)
1.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year		Fifteen days from the due date of furnishing return

2.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under sub-section (1) of section 39	March, 2021	Sixty days from the due date of furnishing return
		April, 2021	Forty-five days from the due date of furnishing return
		May, 2021	Thirty days from the due date of furnishing return
3	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under proviso to sub-section (1) of section 39	January-March, 2021	Sixty days from the due date of furnishing return.";

(ii) after the eighth proviso, the following provisos shall be inserted, namely: —

"Provided also that for the registered persons who failed to furnish the return in **FORM GSTR-3B** for the months /quarter of July, 2017 to April, 2021, by the due date but furnish the said return between the period from the 1st day of June, 2021 to the 31st day of August, 2021, the total amount of late fee under section 47 of the said Act, shall stand waived which is in excess of five hundred rupees:

Provided also that where the total amount of central tax payable in the said return is nil, the total amount of late fee under section 47 of the said Act shall stand waived which is in excess of two hundred and fifty rupees for the registered persons who failed to furnish the return in **FORM GSTR-3B** for the months / quarter of July, 2017 to April, 2021, by the due date but furnish the said return between the period from the 1st day of June, 2021 to the 31st day of August, 2021:

Provided also that the total amount of late fee payable under section 47 of the said Act for the tax period June, 2021 onwards or quarter ending June, 2021 onwards, as the case may be, shall stand waived which is in excess of an amount as specified in column (3) of the Table given below, for the class of registered persons mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who fail to furnish the returns in **FORM GSTR-3B** by the due date, namely: —

TABLE

S. No.	Class of registered persons	Amount
(1)	(2)	(3)
1.	Registered persons whose total amount of central tax payable in the said return is nil	Two hundred and fifty rupees
2.	Registered persons having an aggregate turnover of up to rupees 1.5 crores in the preceding financial year, other than those covered under S. No. 1	One thousand rupees
3.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 1.5 crores and up to rupees 5 crores in the preceding financial year, other than those covered under S. No. 1	Two thousand and five hundred rupees".

[F. No. CBIC-20001/5/2021]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 76/2018-Central Tax, dated 31st December, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1253(E), dated the 31st December, 2018 and was last amended *vide* notification number 09/2021 – Central Tax, dated the 1st May, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 305(E), dated the 1st May, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2021

सं. 20/2021-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 364(अ).—सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ,परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 04/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 23 जनवरी, 2018, जिसे सा.का.नि. 53(अ),दिनांक 23 जनवरी, 2018, के तहत, भारत के राजपत्र, आसाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है. यथा:-

उक्त अधिसूचना में चौथे परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक को अंत :स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"परंतु यह भी कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के तहत कर अविध जून, 2021 से या जून, 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही से, जैसा भी मामला हो, के लिए देय कुल विलंब फीस की राशि, जो कि नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में निर्दिष्ट राशि से अधिक है, उक्त तालिका के कॉलम (2) में संबंधित प्रविष्टि में उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए जो प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक आपूर्ति के ब्योरे का विवरण नियत तारीख तक प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, का अधित्यजन किया जाएगा, अर्थातु: -

तालिका

क्रमांक	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग	राशि
(1)	(2)	(3)
1.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनकी कर अवधि में कोई जावक आपूर्ति नहीं है	दो सौ पचास रुपये
2.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये तक हो, क्रम संख्या 1 में शामिल व्यक्तियों के अलावा	एक हजार रुपये
3.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये से अधिक और 5 करोड़ रुपये तक हो, क्रम संख्या 1 में शामिल व्यक्तियों के अलावा	दो हजार पांच सौ रुपये

[फा. सं. सीबीआईसी -20001/5/2021]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट:- मूल अधिसूचना संख्या 04/2018– केन्द्रीय कर, दिनांक 23 जनवरी, 2018 को सा.का.िन. 53(अ),िदनांक 23 जनवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, आसाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या 53/2020- केन्द्रीय कर, दिनांक 24 जून 2020, जिसे सा.का.िन. 406(अ), दिनांक 24 जून 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2021

No. 20/2021 - Central Tax

G.S.R. 364(E).— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 4/2018— Central Tax, dated the 23rd January, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 53(E), dated the 23rd January, 2018, namely:—

In the said notification, after the fourth proviso, the following proviso shall be inserted, namely: —

"Provided also that the total amount of late fee payable under section 47 of the said Act for the tax period June, 2021 onwards or quarter ending June, 2021 onward, as the case may be, shall stand waived which is in excess of an amount as specified in column (3) of the Table given below, for the class of registered persons mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who fail to furnish the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** by the due date, namely:—

TABLE

S. No.	Class of registered persons	Amount
(1)	(2)	(3)
1.	Registered persons who have nil outward supplies in the tax period	Two hundred and fifty rupees
2.	Registered persons having an aggregate turnover of up to rupees 1.5 crores in the preceding financial year, other than those covered under S. No. 1	One thousand rupees
3.	Registered persons having an aggregate turnover of more than rupees 1.5 crores and up to rupees 5 crores in the preceding financial year, other than those covered under S. No. 1	Two thousand and five hundred rupees

[F. No. CBIC-20001/5/2021]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 4/2018-Central Tax, dated 23rd January, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 53(E), dated the 23rd January, 2018 and was last amended *vide* notification number 53/2020 – Central Tax, dated the 24th June, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 406(E), dated the 24th June, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2021

सं. 21/2021-केन्द्रीय कर

सा.का.िन. 365(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 73/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 29 दिसंबर, 2017, जिसे सा.का.िन.1600(अ),िदनांक 29 दिसंबर, 2017, के तहत,भारत के राजपत्र, आसाधारण, के भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, चौथे परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थातु:-

"परंतु यह भी कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन वित्तीय वर्ष 2021-22 और उसके आगे की अविध के लिए रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा देय विलंब फीस की कुल राशि, जो देय तिथि तक **प्ररूप जीएसटीआर-**4 में विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, का अधित्यजन कर दिया जाएगा-

- (i) जो कि दो सौ पचास रुपए से अधिक है जहां उक्त विवरणी में देय केन्द्रीय कर की कुल राशि शून्य है;
- (ii) जो कि एक हजार रुपये से अधिक है, उन रजिस्टीकृत व्यक्तियों के लिए, जो कि (i) में शामिल व्यक्तियों के अलावा है |

[फा. सं. सीबीआईसी -20001/5/2021]

राजीव रंजन. अवर सचिव

नोट:- मूल अधिसूचना संख्या 73/2017– केन्द्रीय कर, दिनांक 29 दिसंबर, 2017 को सा.का.नि. 1600(अ),दिनांक 29 दिसंबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, आसाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या 93/2020- केन्द्रीय कर, दिनांक 22 दिसंबर 2020, जिसे सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 22 दिसंबर 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II. खंड 3. उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2021

No. 21/2021 - Central Tax

G.S.R. 365(E).— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 73/2017– Central Tax, dated the 29th December, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1600(E), dated the 29th December, 2017, namely:

In the said notification, after the fourth proviso, the following proviso shall be inserted, namely: —

"Provided also that the total amount of late fee payable under section 47 of the said Act for financial year 2021-22 onwards, by the registered persons who fail to furnish the return in **FORM GSTR-4** by the due date, shall stand waived -

- (i) which is in excess of two hundred and fifty rupees where the total amount of central tax payable in the said return is nil;
- (ii) which is in excess of one thousand rupees for the registered persons other than those covered under clause (i).".

[F. No. CBIC-20001/5/2021]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 73/2017– Central Tax, dated the 29th December, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1600(E), dated the 29th December, 2017 and was last amended *vide* notification number 93/2020 – Central Tax, dated the 22nd December, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 22nd December, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2021

सं. 22/2021-केन्द्रीय कर

सा.का.िन. 366(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 47 के तहत देय विलंब फीस की राशि को, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जिनके लिए अधिनियम की धारा 51 के प्रावधानों के तहत स्रोत पर कर कटौती करना आवश्यक है, माह जून, 2021 से, प्ररूप जीएसटीआर-7 में नियत तारीख तक विवरणी प्रस्तुत करने की विफलता के लिए, उस अविध के लिए जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है, जो कि पच्चीस रुपये प्रतिदिन से अधिक है का अधित्यजन करती है:

परंतु यह कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के तहत कुल देय विलंब फीस कि राशि को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए, माह जून, 2021 से, नियत तारीख तक **प्ररूप जीएसटीआर-7** में विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के लिए, जो एक हजार रुपये से अधिक है का अधित्यजन किया जाता है ।

[फा. सं. सीबीआईसी -20001/5/2021]

राजीव रंजन, अवर सचिव

New Delhi, the 1st June, 2021

No. 22/2021 - Central Tax

G.S.R. 366(E).— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Government, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee payable under section 47 of the said Act by any registered person, required to deduct tax at source under the provisions of section 51 of the said Act, for failure to furnish the return in **FORM GSTR-7** for the month of June, 2021 onwards, by the due date, which is in excess of an amount of twenty-five rupees for every day during which such failure continues:

Provided that the total amount of late fee payable under section 47 of the said Act by such registered person for failure to furnish the return in **FORM GSTR-7** for the month of June, 2021 onwards, by the due date, shall stand waived which is in excess of an amount of one thousand rupees.

[F. No. CBIC-20001/5/2021]

RAJEEV RANJAN, Under Secv.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2021

सं. 23/2021 - केंद्रीय कर

सा.का.िन. 367(अ).—सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 48 के उपनियम(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफ़ारिशों पर, भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना सं. 13/2020- केन्द्रीय कर, तारीख 21 मार्च 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.िन. सं.196(अ), तारीख 21 मार्च 2020, को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है:-

उक्त अधिसूचना के प्रथम अनुछेद में "ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उनसे भिन्न" शब्दों के पश्चात "एक सरकारी विभाग, एक स्थानीय निकाय." शब्दों को अंतः स्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. सीबीआइसी-20001/5/2021]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना सं. 13/2020-केंद्रीय कर, तारीख 21 मार्च 2020, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.िन. संख्या 196(अ), तारीख 21 मार्च, 2020 द्वारा प्रकाशित की गयी और अधिसूचना संख्या 05/2021-केंद्रीय कर, तारीख 8 मार्च, 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.िन. संख्या 160 (अ), तारीख 8 मार्च, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2021

No. 23/2021 - Central Tax

G.S.R. 367(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 48 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.13/2020 – Central Tax, dated the 21st March, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 196(E), dated the 21st March, 2020, namely:

In the said notification, in the first paragraph, after the words "notifies registered person, other than", the words "a government department, a local authority," shall be inserted.

[F. No. CBIC-20001/5/2021]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 13/2020- Central Tax, dated the 21st March, 2020, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 196(E), dated the 21st March, 2020 and was last amended *vide* notification number 05/2021 — Central Tax, dated the 8th March, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 160(E), dated the 8th March, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुन, 2021

सं. 24 / 2021 - केंद्रीय कर

सा.का.नि. 368(अ).—केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 और संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना सं 14/2021 - केन्द्रीय कर, तारीख 01 मई, 2021 जो भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 310 (E) तारीख 01 मई 2021 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है. अर्थात: -

उक्त अधिसूचना के प्रथम पैरा में -

- (i) खंड (i) में, --
 - 1. "मई, 2021 के 30वे दिन" अंको, अक्षरों व शब्दों के स्थान पर "जून, 2021 के 29वे दिन" अंको, अक्षरों व शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा I
 - 2. "मई, 2021 के 31वे दिन" अंको, अक्षरों व शब्दों के स्थान पर "जून, 2021 के 30वे दिन" अंको, अक्षरों व शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा l
- (ii) खंड (i) के परंतुक में, --
 - 1. "मई, 2021 के 31वे दिन" अंको, अक्षरों व शब्दों के स्थान पर "जून, 2021 के 30वे दिन" अंको, अक्षरों व शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा I
 - 2. "जून, 2021 के 15वे दिन" अंको, अक्षरों व शब्दों के स्थान पर "जुलाई, 2021 के 15वे दिन" अंको, अक्षरों व शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा I
- (iii) खंड (ii) में, --
 - 1. "मई, 2021 के 30वे दिन" अंको, अक्षरों व शब्दों के स्थान पर "जून, 2021 के 29वे दिन" अंको, अक्षरों व शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा I
 - 2. "मई, 2021 के 31वे दिन" अंको, अक्षरों व शब्दों के स्थान पर "जून, 2021 के 30वे दिन" अंको, अक्षरों व शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा l
- 2. यह अधिसूचना मई, 2021 के 30वे दिन से प्रवृत्त हुई मानी जाएगी I

[फा. सं. सीबीआईसी -20001/5/2021]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना सं.14/2021-केंद्रीय कर, तारीख 1 मई 2021, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. संख्यांक 310(अ), तारीख 1 मई 2021 द्वारा प्रकाशित की गयी I

New Delhi, the 1st June, 2021

No. 24/2021 - Central Tax

G.S.R. 368(E).—In exercise of the powers conferred by section 168A of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), and section 21 of Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 14/2021-Central Tax, dated the 1st May, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 310(E), dated the 1st May, 2021, namely:—

In the said notification, in the first paragraph,-

- (i) in clause (i),
 - a. for the figures, letters and words "30th day of May, 2021", the figures, letters and words "29th day of June, 2021" shall be substituted;
 - b. for the figures, letters and words "31st day of May, 2021", the figures, letters and words "30th day of June, 2021" shall be substituted;
- (ii) in proviso to clause (i),
 - a. for the figures, letters and words "31st day of May, 2021", the figures, letters and words "30th day of June, 2021" shall be substituted;
 - b. for the figures, letters and words "15th day of June, 2021", the figures, letters and words "15th day of July, 2021" shall be substituted;
- (iii) in clause (ii),
 - a. for the figures, letters and words "30th day of May, 2021", the figures, letters and words "29th day of June, 2021" shall be substituted;
 - b. for the figures, letters and words "31st day of May, 2021", the figures, letters and words "30th day of June, 2021" shall be substituted.
- 2. This notification shall come into force with effect from the 30th day of May, 2021.

[F. No. CBIC-20001/5/2021]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 14/2021- Central Tax, dated the 1st May, 2021, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 310(E), dated the 1st May, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुन, 2021

सं. 25/2021- केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 369 (अ).—सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं॰ 21/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 23 अप्रैल, 2019, जिसे सा.का.नि. 322 (अ), दिनांक 23 अप्रैल, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ॥, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, तृतीए अनुच्छेद में, द्वितीय परंतुक में, "मई 2021 के 31वें दिन" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर "जुलाई 2021के 31वें दिन" अंकों, अक्षरो और शब्दों रखे जाएंगे I

2. यह अधिसूचना मई 2021 के 31वें दिन से प्रवृत हुई मानी जाएगी I

[फा. सं. सीबीआइसी-20001/5/2021]

नोट: मूल अधिसूचना सं॰ 21/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 23 अप्रैल, 2019, को सा.का.िन. 322 (अ), दिनांक 23 अप्रैल, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ॥, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना सं. 10/2021-केन्द्रीय कर, तारीख 01 मई, 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.िन. 306(अ), तारीख 01 मई, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी, द्वारा अंतिम संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2021

No. 25/2021 - Central Tax

G.S.R. 369(E).— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 21/2019- Central Tax, dated the 23rd April, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 322(E), dated the 23rd April, 2019, namely: —

In the said notification, in the third paragraph, in the second proviso, for the figures, letters and words "31st day of May, 2021", the figures, letters and words "31st day of July, 2021" shall be substituted.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 31st day of May, 2021.

[F. No. CBIC-20001/5/2021]

RAJEEV RANJAN, Under Secv.

Note: The principal notification No. 21/2019- Central Tax, dated the 23rd April, 2019, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 322(E), dated the 23rd April, 2019 and was last amended by notification No. 10/2021-Central Tax, dated the 1st May, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 306(E), dated the 1st May, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2021

सं. 26/2021 - केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 370(अ).—केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम 2017 के नियम 45 के उप नियम (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त , बोर्ड कि अनुमित से , भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं॰ 11/2021-केन्द्रीय कर , दिनांक 1 मई 2021, जिसे सा.का.नि. 307 (अ), दिनांक 1 मई 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ॥, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :-

उक्त अधिसूचना के पहले अनुच्छेद में "मई 2021 के 31वें दिन" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "जून 2021 के 30वें दिन" शब्दों, अक्षरों और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 31 मई 2021 से प्रवृत हुई मानी जाएगी।

[फ़ा.सं. सीबीआइसी 20001/5/2021]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना सं॰ 11/2021- केन्द्रीय कर, दिनांक 1 मई 2021 , जिसे सा.का.िन. 307 (अ), दिनांक 1 मई 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

New Delhi, the 1st June, 2021

No. 26/2021 - Central Tax

G.S.R. 370 (E).—In exercise of the powers conferred by section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and sub-rule (3) of rule 45 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, the Commissioner, with the approval of the Board, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 11/2021- Central Tax, dated the 1st May, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 307(E), dated the 1st May, 2021, namely: —

In the said notification, in the first paragraph, for the figures, letters and words "31st day of May, 2021", the figures, letters and words "30th day of June, 2021" shall be substituted.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 31st day of May, 2021.

[F. No. CBIC-20001/5/2021]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 11/2021- Central Tax, dated the 1st May, 2021, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 307(E), dated the 1st May, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2021

सं. 27/2021-केन्द्रीय कर

सा.का. नि. 371 (अ).—केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: --

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवा कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2021 है।
- (2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 में, ----
- (i) नियम 26 के उपनियम (1) मे चौथे परंतुक मे, "31 मई, 2021" अंकों, अक्षरों और शब्दों, के स्थान पर, "31अगस्त, 2021" अंकों, अक्षरों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा । इस नियम को मई, 2021 के 31वें दिन से लाग माना जाएगा ।
- (ii) नियम 36 के उपनियम (4) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर , निम्न परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा,अर्थात्:-
- "परंतु यह भी कि उक्त शर्त अप्रैल, मई और जून 2021 की अवधि के लिए संचयी रूप से लागू होगी और जून, 2021 या जून 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही, की कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** की विवरणी, उक्त महीनों के इनपुट कर प्रत्यय का उपर्युक्त शर्तों के अनुसार संचयी रूप से समायोजन करके प्रस्तुत की जाएगी।";
- (iii) नियम 59 के उपनियम (2) में, पहले परंतुक के बाद, निम्न परंतुक अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"परंतु यह भी कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, माह मई 2021 के लिए, बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए उक्त ब्यौरों को, जून 2021 के पहले दिन से 28 वें दिन तक प्रस्तुत कर सकता है|

[फा. सं. सीबीआइसी-20001/5/2021]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: मुख्य नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) की अधिसूचना संख्या 3/2017-केंद्रीय कर, दिनांक 19 जून, 2017, सा.का.नि. 610(अ), के तहत और अंतिम संशोधित नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) की अधिसूचना संख्या 15/2021 - केंद्रीय कर, 18 मई, 2021, सा.का.नि. 333(अ), के तहत प्रकाशित गए गए थे|

New Delhi, the 1st June, 2021

No. 27/2021 - Central Tax

- **G.S.R. 371(E).**—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—
- 1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Central Goods and Services Tax (Fifth Amendment) Rules, 2021.
- (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Central Goods and Services Tax Rules, 2017. —
- (i) in sub-rule (1) of rule 26, in the fourth proviso, with effect from the 31st day of May, 2021, for the figures, letters and words "31st day of May, 2021", the figures, letters and words "31st day of August, 2021" shall be substituted;
- (ii) in sub-rule (4) of rule 36, for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely: —
- "Provided further that such condition shall apply cumulatively for the period April, May and June, 2021 and the return in **FORM GSTR-3B** for the tax period June, 2021 or quarter ending June, 2021, as the case may be, shall be furnished with the cumulative adjustment of input tax credit for the said months in accordance with the condition above.":
- (iii) in sub-rule (2) of rule 59, after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely: —
- "Provided further that a registered person may furnish such details, for the month of May, 2021, using IFF from the 1st day of June, 2021 till the 28th day of June, 2021."

[F. No. CBIC-20001/5/2021]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification No. 3/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017, published *vide* number G.S.R. 610(E), dated the 19th June, 2017 and last amended *vide* notification No. 15/2021 - Central Tax, dated the 18th May, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 333 (E), dated the 18th May, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2021

सं.-2/2021 - एकीकृत कर

सा. का.नि. 372 (अ).—सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) की धारा 50 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं.06/2017- एकीकृत कर, दिनांक 28 जून 2017, जिसे सा.का. नि. 698 (अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ॥, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् –

उक्त अधिसूचना के प्रथम अनुच्छेद में प्रथम परंतुक में, -

- (i) शब्दों, अक्षरों और अंकों "जिनको प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है, लेकिन जो स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविवष्ट में निर्दिष्ट कर अविध की उक्त विवरणी को नियत तारीख तक, देय कर के भुगतान के साथ, प्रस्तुत नहीं करते हैं", के स्थान पर, शब्दों "जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविवष्ट में निर्दिष्ट कर अविध के लिए नियत तारीख तक, कर का भुगतान करने में विफल रहते हैं" को प्रतिस्थापित किया जायेगा;
- (ii) तालिका में स्तंभ (4) के शीर्षक में, "कर अवधि" शब्दों, के स्थान पर, "माह/ तिमाही" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(iii) निम्नलिखित को तालिका में क्र.सं. 4,5,6 और 7 में प्रतिस्थापित किया जायेगा,

1	2	3	4
"4	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत, उसके बाद 18 प्रतिशत	मार्च 2021, अप्रैल 2021 और मई 2021
5	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पैंतालीस दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले तीस दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके	मार्च 2021 अप्रैल 2021
		बाद 18 प्रतिशत नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	मई 2021
6	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पैंतालीस दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	मार्च 2021
	उत्तरदायी हैं	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले तीस दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	अप्रैल 2021
		नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	मई 2021
7	करदाता जो धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पैंतालीस दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	तिमाही जो मार्च 2021 को समाप्त हो रही है "।

2. इस अधिसूचना को मई, 2021 के 18वें दिन से लागू माना जाएगा।

[फा. सं. सीबीआईसी -20001/5/2021]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना सं॰ 06/2017, दिनांक 28 जून 2017 को सा.का.िन. 698 (अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसका आखिरी बार संशोधित अधिसूचना सं॰ 01/2021- एकीकृत कर, दिनांक 01 मई 2021, जिसे सा.का.िन. 311 (अ), दिनांक 01 मई 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया है।

New Delhi, the 1st June, 2021

No. 02/2021 - Integrated Tax

G.S.R. 372(E).—In exercise of the powers conferred by section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), read with sub-section (1) of section 50 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 6/2017 – Integrated Tax, dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 698(E), dated the 28th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the first paragraph, in the first proviso,-

- (i) for the words, letters and figure "required to furnish the returns in **FORM GSTR-3B**, but fail to furnish the said return along with payment of tax", the words "liable to pay tax but fail to do so" shall be substituted;
- (ii) in the Table, in column 4, in the heading, for the words "Tax period", the words "Month/Quarter" shall be substituted;
- (iii) in the Table, for serial number 4, 5, 6 and 7, the following shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
"4.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year	9 per cent for the first 15 days from the due date and 18 per cent thereafter	March, 2021, April, 2021 and May, 2021
5.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under sub-section	Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 45 days, and 18 per cent thereafter	March, 2021
	(1) of section 39	Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 30 days, and 18 per cent thereafter	April, 2021
		Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 15 days, and 18 per cent thereafter	May, 2021
6.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under proviso to sub-section (1) of section 39	Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 45 days, and 18 per cent thereafter	March, 2021
		Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 30 days, and 18 per cent thereafter	April, 2021
		Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 15 days, and 18 per cent thereafter	May, 2021
7.	Taxpayers who are liable to furnish the return as specified under sub-section (2) of section 39	Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 45 days, and 18 per cent thereafter	Quarter ending March, 2021".

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 18th day of May, 2021.

[F. No. CBIC-20001/5/2021]

Note: The principal notification number 06/2017 – Integrated Tax, dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 698(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended vide notification number 01/2021 – Integrated Tax, dated the 1st May, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 311(E), dated the 1st May, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2021

सं.-02/2021 - संघ राज्यक्षेत्र

सा. का. नि. 373 (अ).—सरकार, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के साथ पिठत केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) की धारा 50 की उपधारा (1) के साथ पिठत धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 10/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर, दिनांक 30 जून 2017, जिसे सा.का. नि. 747 (अ), दिनांक 30 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ॥, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् – उक्त अधिसूचना के प्रथम अनुच्छेद में प्रथम परंतृक में, -

- (i) शब्दों, अक्षरों और अंकों "जिनको प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है, लेकिन जो स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविवष्ट में निर्दिष्ट कर अविध की उक्त विवरणी को नियत तारीख तक, देय कर के भुगतान के साथ, प्रस्तुत नहीं करते हैं", के स्थान पर, शब्दों "जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविवष्ट में निर्दिष्ट कर अविध के लिए नियत तारीख तक, कर का भुगतान करने में विफल रहते हैं" को प्रतिस्थापित किया जायेगा;
- (ii) तालिका में स्तंभ (4) के शीर्षक में, "कर अवधि" शब्दों, के स्थान पर, "माह/ तिमाही" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा;
 - (iii) निम्नलिखित को तालिका में क्र॰सं॰ 4,5,6 और 7 में प्रतिस्थापित किया जायेगा,

1	2	3	4
"4	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत, उसके बाद 18 प्रतिशत	मार्च 2021, अप्रैल 2021 और मई 2021
5	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले तीस दिन के लिए 9	
		प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	मई 2021

		-	
6	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह	मार्च 2021
	में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो,	दिन के लिए शून्य, उसके बाद	
	जो धारा 39 की उपधारा (1) के	अगले पैंतालीस दिन के लिए 9	
	परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	
		नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह	अप्रैल 2021
		दिन के लिए शून्य, उसके बाद	
		अगले तीस दिन के लिए 9	
		प्रतिशत और उसके बाद 18	
		प्रतिशत	
		नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह	मई 2021
		दिन के लिए शून्य, उसके बाद	
		अगले पंद्रह दिन के लिए 9	
		प्रतिशत और उसके बाद 18	
		प्रतिशत	
7	करदाता जो धारा 39 की उपधारा (2)	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह	तिमाही जो मार्च 2021 को
	के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये	दिन के लिए शून्य, उसके बाद	समाप्त हो रही है "।
	उत्तरदायी हैं	अगले पैतालीस दिन के लिए 9	
		प्रतिशत और उसके बाद 18	
		प्रतिशत	
	1	1	

2. इस अधिसूचना को मई, 2021 के 18वें दिन से लागू माना जाएगा।

[फा. सं. सीबीआईसी -20001/5/2021]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना सं॰ 10/2017, दिनांक 30 जून 2017 को सा.का.िन. 747 (अ), दिनांक 30 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसका आखिरी बार संशोधित अधिसूचना सं॰ 01/2021- संघ राज्यक्षेत्र कर, दिनांक 01 मई 2021, जिसे सा.का.िन. 312 (अ), दिनांक 01 मई 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2021

No. 02/2021 - Union Territory Tax

G.S.R. 373(E).—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), read with sub-section (1) of section 50 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 10/2017 – Union Territory Tax, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 747(E), dated the 30th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the first paragraph, in the first proviso,-

- (i) for the words, letters and figure "required to furnish the returns in **FORM GSTR-3B**, but fail to furnish the said return along with payment of tax", the words "liable to pay tax but fail to do so" shall be substituted;
- (ii) in the Table, in column 4, in the heading, for the words "Tax period", the words "Month/Quarter" shall be substituted;
- (iii) in the Table, for serial number 4, 5, 6 and 7, the following shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
"4.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year	9 per cent for the first 15 days from the due date and 18 per cent thereafter	March, 2021, April, 2021 and May, 2021
5.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under sub-section (1) of section 39	Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 45 days, and 18 per cent thereafter	March, 2021
		Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 30 days, and 18 per cent thereafter	April, 2021
		Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 15 days, and 18 per cent thereafter	May, 2021
6.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under proviso to sub-section (1) of section 39	Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 45 days, and 18 per cent thereafter	March, 2021
		Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 30 days, and 18 per cent thereafter	April, 2021
		Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 15 days, and 18 per cent thereafter	May, 2021
7.	Taxpayers who are liable to furnish the return as specified under sub-section (2) of section 39	Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 45 days, and 18 per cent thereafter	Quarter ending March, 2021".

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 18th day of May, 2021.

[F. No. CBIC-20001/5/2021]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification number 10/2017 – Union Territory Tax, dated the 30th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 747(E), dated the 30th June, 2017 and was last amended *vide* notification number 01/2021 – Union Territory Tax, dated the 1st May, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 312(E), dated the 1st May, 2021.